



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड—1
PART I—Section—1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 1979/माघ 5, 1900
No. 28] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 25, 1979/MAGHA 5, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

गुडि-पत्र

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1979

संख्या एक 12 (7)-पी०डी०/78.—भारत के 27 दिसम्बर, 1978 के असाधारण राजपत्र के भाग I,
खण्ड 1 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या
एफ० 12(7)-पी०डी०/78 में धारा (ii) को इस प्रकार पढ़ा जाए:—

- (ii) (क) लोक ऋण अधिनियम 1941 (1944 का 18) की धारा
2 में यथा-परिभाषित तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा सजित और जारी
की गई सरकारी प्रतिभूतियाँ } 20 प्रतिशत से
कम नहीं
- (ख) कोई अन्य परक्राम्य प्रतिभूतियाँ जिनका कम से कम मूलधन और
जिन पर ध्याज केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा, पूर्णतः
और बिना किसी शर्त के प्रत्याभूत है। }

मंगल वास पाल, उप सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

ERRATA

New Delhi, the 25th January, 1979

No. F. 12(7)-PD/78.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs No. F. 12(7)-PD/78 published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section I dated 27th December, 1978, Clause (ii) should be read as :

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| (ii) (a) Government securities as defined in section 2 of the Public Debt Act, 1944 (18 of 1944) created and issued by any State Government; | } | Not less than twenty per cent. |
| (b) Any other negotiable securities the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government. | | |

M. D. PAL, Dy. Secy. (Budget